

**जांच सूची क्रमांक 18 – मछली पकड़ने वाले जहाजों की बिक्री**

**पंजीकरण समाप्ति (Closure of Registry)**

(पृष्ठ 1 में से 1)

क्र.सं.	विदेशी स्वामी को आगे संचालन / स्क्रेपिंग हेतु बिक्री : निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं	हाँ/नहीं
1	क्या पोत को स्क्रेपिंग हेतु बेचा गया है? यदि हाँ, तो खरीदार का नाम और पूरा पता देना अनिवार्य है।	
2	जहाज की बिक्री के संबंध में महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त करना	
3	जहाज की बिक्री हेतु 'समझौता ज्ञापन (Memorandum of Agreement)' की प्रति आवश्यक है	
4	*विक्रेता कंपनी के कंपनी सचिव (या दो निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव जिसमें (a) जहाज की बिक्री निष्पादित करना और (b) विक्रेता की ओर से 'बिल ऑफ सेल' पर हस्ताक्षर हेतु व्यक्ति को अधिकृत करना शामिल हो	
नोट :	*बोर्ड प्रस्ताव पर कॉमन सील आवश्यक नहीं है। हालांकि, मोर्टगेज (प्रपत्र 11), पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल ऑफ सेल आदि जैसे दस्तावेजों के निष्पादन हेतु कॉमन सील आवश्यक होगा।	
5	स्टांप पेपर पर एक हलफनामा जिसमें विक्रय तिथि तक जहाज से संबंधित किसी भी दायित्व से रजिस्ट्रार को मुक्त किया गया हो	
6	'बिल ऑफ सेल' की प्रति कॉमन सील सहित/नोटराइज्ड/प्रमाणित। यदि जहाज को समुद्र में किसी मध्यस्थ को स्क्रेपिंग हेतु पुनः बिक्री के लिए बेचा गया हो, तो उस मध्यस्थ द्वारा तीसरे पक्ष को जारी 'बिल ऑफ सेल' पर कॉमन सील आवश्यक नहीं है।	

क्र.सं.	विदेशी स्वामी को आगे संचालन / स्क्रेपिंग हेतु बिक्री : निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं	हाँ/नहीं
7	डीजीएस / एमएमडी / आईआरएस द्वारा जारी सभी वैधानिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ समर्पित की जाएं: 1). पंजीकरण प्रमाणपत्र 2) निरीक्षण प्रमाणपत्र और अन्य लागू प्रमाणपत्र	
8	जहाज का नाम, कॉल साइन, आधिकारिक संख्या और डिजिटल सेलेक्टिव कॉल (MMSI) संख्या विक्रेता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से लिखित रूप में समर्पित किया जाए तथा यह प्रमाण/प्रतिज्ञा दी जाए कि निम्नलिखित को निष्क्रिय कर दिया गया है: (a) मोबाइल स्टेशन लाइसेंस (b) इनमारसैट (c) शिप सिक्योरिटी अलार्म और (d) ईपीआईआरबी।	
9	जहाज पर कोई बकाया मोर्टगेज नहीं होना चाहिए।	

#### केवल कार्यालय उपयोग हेतु टिप्पणियाँ:

- i). यदि उपरोक्त आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो विलोपन प्रमाणपत्र (Deletion Certificate) जारी किया जाए।
- ii). पंजीकरण समाप्ति का कारण रजिस्टर में लाल स्याही से दर्ज किया जाए (जैसे – स्क्रेपिंग / आगे संचालन)।
- iii). पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर डीजी को रिपोर्ट सहित भेजा जाए।
- iv). पंजीकरण समाप्ति हेतु जहाज पर कोई बकाया गिरवी नहीं होनी चाहिए। ("नो एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट" सभी ऋण भुगतान के बाद जारी किया जा सकता है लेकिन यह उल्लेख करना होगा कि यह प्रमाणपत्र नाविकों के वेतन या पीएफ देनदारियों से संबंधित बकाए को प्रतिबिंबित नहीं करता, जिनका भुगतान जहाज के मालिक की जिम्मेदारी है)।
- v). डीजीएस को प्रेषित पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि MMSI संख्या विक्रेता द्वारा समर्पित की गई है और इसरो (ISRO) को MMSI संख्या के समर्पण के संबंध में पत्र भेजा जाए।

**नोट:** जांच सूची के अनुसार संलग्न/जोड़ित किसी भी दस्तावेज की छायाप्रति कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त होनी चाहिए। बिना हस्ताक्षर और मोहर वाले दस्तावेज इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।